न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. : 250/2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025/773

प्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति सैन, उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम दांतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार तहसील जोधपुर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. अप्रार्थी की ओर सरकारी पैरोकार उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.10.2022 कमांक/भू.अ./5322 में नामान्तरकण संख्या 938 द्वारा तहसीलदार जोधपुर ।

– : : आदेश : : – दिनांक : 20/4/26

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमाक/भू. अ/ 5322 दि० 21–10–22 की पालनार्थ में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेश विपरित नियम विरुद्ध नामान्तरकरण 938 दर्ज किया है, को खारिज कर नियमानुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 3–निर्वासित के तहत राजस्व अधिकारी इस जोत का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार खोलने का आदेश फरमाने का निवेदन किया गया। खेत खसरा संख्या 340 रकबा 23.12 बीघा बारानी प्रथम वाके मौजा सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर का है। खेत खसरा सं. 340 बीघा भूमि का कब्जा के आधार पर संवत 2008, तारीख 14–4–950 को श्रीराम बल्द आसू नाई सा० चेनपुरा वाले को बापी–पट्टा दिया गया। खतौनी मौजा सुरपुरा परगना जोधपुर, जोधपुर गर्वमेन्ट संवत 1999 के अन्तर्गत खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम गैर मुमकिन भूमि दर्ज है। खेत खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम का बापी पट्टा संवत 2007 में, सन्

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

1950–51 में श्रीराम पुत्र आसुराम नाई को दिया था। उक्त बापी–पस्टा का इन्द्राज निरन्तर जमाबंदी चौसाले संवत 2028 से 2064 तक है। उक्त बापी पट्टा का खसरा गिरदावरी संवत 2007 से लगातार 2052 तक श्री राम वल्द आसू नाई सा० चौनपुरा बापीदार के नाम से इन्दाज है। खसरा संख्या 340 रकबा 23.19 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम का खातेदार श्रीराम जी ने सम्पूर्ण जीवन काल में निर्विवादित व शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग करते रहे थे। श्रीराम पुत्र आसुराम नाई के कोई जायदा पुत्र या पुत्रीयां नहीं है। श्रीराम जी एवं उनकी धर्मपत्नी मेहताब बाई में अपने समग्रर्थी जीवनकाल में नहीं किसी जायदाद का किसी को अपनी वरिस बनाए बिना ही श्रीराम जी की मृत्यु 17.07.1980 में हो गई एवं उनकी धर्मपत्नी मेहताब बाई की मृत्यु 22.08.1996 को हो गई थी। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 3– निर्वासित (समाप्त) हो जाता है, जो इस प्रकार है– 1. बिना वारिस मर जाने पर, 2. उसका अन्यपूर्ण या परित्याग कर देने पर, 3.भूमि को सरकार द्वारा अर्जित कर लेने पर, 4. कब्जे से वंचित कर देने पर, 5. बेदखल किए जाने पर 6. भू–धारक के अधिकार अर्जित कर लेने पर, 7. उसका विक्रय या दान कर देने पर, 8. विदेश चले जाने पर, 9. आवंटन निरस्त हो जाने पर। इन परास्थातियो में से किसी भी परिस्थिति में भी राजस्व अधिकारी उस जोत का कब्जा प्राप्त करेगा और पटवारी उसका नामान्तरकरण, खोल कर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवाएगा। बिना किसी वारिस पीछे छोड़े हो जाने (खण्ड –(1) यदि किसी अधिकारी या प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वारिस नहीं हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जोत में हित समाप्त हो जावेगा व भूमि रिक्त (खालसा) हो जाएगा और उसका अधिग्रहण कर लिया जावेगा। परन्तु जहां तक कोई विधिक प्रत्यक्ष वारिस है, तो अभिनिधारित की (राजस्थान) स्वामित्व अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। उक्त प्रकरण में खातेदार श्रीराम जी व उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु बिना वारिस पीछे–छोड़े मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जोत में हित समाप्त हो गया था व भूमि रिक्त खालसा हो गई थी। इस परिस्थिति में न्यायालय, तहसीलदार, जोधपुर को आदेश फरमावे कि अविधिक रूप से नामान्तरकरण सं. 938 – समस्त मारू नाई समाज की प्याऊ की गैर मुमकिन भूमि के नाम खोला गया है को खारिज कर खसरा सं 340 रिक्त (खालसा) भूमि – का कब्जा प्राप्त करे एवं पटवारी हल्का द्वारा सरकार के नाम नामान्तरकरण खोल कर ग्राम पंचायत से तस्दीक करावें। खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी, गिरदावरी इत्यादि समपूर्ण राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा सं. 340 भूमि की भूमि किस्म बारानी है, तो पटवारी हल्का द्वारा किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन प्याक के नाम बिना डिक्री (आदेश) के माननीय न्यायालयर राजस्व मण्डल राजव अजमेर में अपील एलआर/6452/2014 में निर्णय दिनांकः 14–10–22 की पालना में एवं तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमान/भू.अ./ 5322 दि. 21–10–22 की पालना में नामान्तरकरण

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

दायर कर निर्णय हेतु पेश है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर व सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णयों का गहनता से परिक्षण कर तहसीलदार जो० निर्णय को विधिसमत मानकर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा अपीलान्ट पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 617 को दिनांकः 25.02–2014 को निरस्त किया उचित मानकर यथावत रखा है एवं यह भी कहा की दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा परित समवर्ती निर्णय में हमें काई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। परिणाम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 30–9–14 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार (भू.अ) जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./5322 दिनांकः 21–10–22 को प्रार्थना–पत्र मूल ही पटवारी हल्का सुरपुरा को भेजकर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। न्यायालय (भू.अ.) जोधपुर ने दर्ज प्रकरण संख्या 32/2013 दिनांकः 25–2–14 के निर्णय में उक्त पट्टे के सही अमल दरामद हेतु मारू नाई समाज सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करने का आदेश दिया था। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थी की ओर सविनय निवेदन के साथ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./5322 दिनांक 21–10–22 की पालनार्थ में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेश विपरित नियम विरुद्ध नामान्तरकरण 938 दर्ज किया गया है को खारिज कर नियमानुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 3– निर्वासित के तहत राजस्व अधिकारी इस जोत का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर विधिसम्मत नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामिल प्राप्त हुई तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपील जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार जोधपुर द्वारा क्रमांक 282 दिनांक 01.04.2026 से प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक/ भू.अ. /5322 दिनांक– 21.10.2022 की पालनार्थ मे पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेश विपरित नियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 938 दर्ज किया है, को खारिज कर नियमानुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 3 निर्वासित के तहत राजस्व अधिकारी इस जोत का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर विधिसम्मत नामान्तरकरण खोलने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

मे भू.अ. निरीक्षक जाजीवाल कलां एवं पटवारी हल्का सुरपुरा से जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट अनुसार अपील का जवाब इस प्रकार है कि–अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित खेत खसरा संख्या 340 मौजा सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर के क्षेत्राधिकार का है। मौजा सुरपुरा की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 1999 के अनुसार खसरा संख्या 340 रकबा 23–19 बीघा भूमि बारानी प्रथम दर्ज है। पट्टा बापी गांव सुरपुरा का तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा पट्टा नम्बर 49 दिनांक– 03.06.1949 को श्रीराम जी पुत्र आसुराम कौम नाई सा० पुंजला वालो को दिया गया है। जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत् 2007 के कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार इन्द्राज है– "तारीख 14.04.49 को श्रीराम पुत्र आसु को हुकम R.I.L के द्वारा 14.04.49 नोट 2008 बापीदार 2008 में जदीद बापी पट्टा न. 49/04.06.51" उक्तानुसार इन्द्राज है। खसरा गिरदावरी चौसाला संवत् 2007 से निरन्तर संवत् 2064 तक श्रीराम बेटा आसु कोम नाई बापीदार/खातेदार सा. पुन्जला इन्द्राज है। जमाबन्दी चौसाला मे निरन्तर संवत् 2064 तक श्रीराम पुत्र आसुराम कौम नाई पुन्जला सा० देह खातेदार इन्द्राज है। उक्त खसरा संख्या का खातेदार श्रीराम पुत्र आसुराम नाई की मृत्यु दिनांक– 17.07.1980 को हो गई एवं उनकी धर्मपत्नी मेहताब बाई की मृत्यु दिनांक– 22.08.1996 को हो गई थी। इसकी तस्दीक ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा किया गया है, तथा ग्राम सुरपुरा के तत्कालीन कृषि पर्यवेक्षक आनन्द कुमार सेन ने तस्दीक की है। सन् 2013–14 मे भीमराज सेन ने उक्त खसरा ग्राम सुरपुरा का नामान्तरकरण 617 दर्ज करवा दिया था। जिसकी जांच के दौरान गलत पाया जाने से तहसीलदार ने नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जिसकी प्रथम अपील भीमराज ने न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर व द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे की परन्तु दोनो न्यायालयो ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 (4) यह कहती है कि जब बिना वारिस पीछे छोडे मृत्यु हो जावे– खण्ड (1)– यदि किसी अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वारिस नही हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जोत में हित समाप्त हो जावेगा व भूमि रिक्त/खालसा हो जावेगी और उसका अधिग्रहण कर लिया जावेगा, परन्तु जहां कोई प्रत्यक्ष विधिक वारिस है, तो अभिनिर्धारित कि– राजस्थान राजगामित्व विनियमन अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही नही की जा सकेगी। उक्त विचाराधीन प्रकरण के विषयान्तर्गत, निस्तारण हेतु तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का सुरपुरा को आदेश दिया जो निम्नानुसार है– "कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर क्रमांक/भू.अ./22/5322 दिनांक– 20.10.2022 मूल ही पटवारी हल्का सुरपुरा को भेजकर लेख है कि माननीय न्यायालय निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करे"। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील /एल आर/6452/2014 मे निर्णय दिनांक– 14.10.2022 की पालना मे एवं तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भू.

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अ./5322 दिनांक– 21,10.2022 की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 938 दिनांक– 01.11.2022 से सिराम पुत्र आसुराम के स्थान पर "समस्त मारू नाई समाज" की प्याऊ की गैर मुमकिन भूमि के नाम दर्ज हुआ। जवाब के अंत में उपरोक्तानुसार अपील का जवाब प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तरकरण 938 को खारिज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित खेत खसरा संव 340 मौजा सुरपुरा, तहसील व जिला जोधपुर के क्षेत्राधिकार का है। मौजा सुरपुरा की रखतौनी बन्दोबस्त संवत 1999 के अनुसार खसरा संख्या 340 रकबा 23.19 बीघा भूमि बारानी प्रथम दर्ज है। पट्टा बापी गाँव सुरपुरा खसरा सं० 340 का तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा पट्टा नं0 49 दिनांक 03.06.1949 को श्रीराम जी कौम नाई सा० पुजला वालो को दिया गया है। खसरा गिरदावरी चौसेले संवत 2007 से निरन्तर संवत 2064 तक श्रीराम बेटा आसू कोम नाई बापीदार/खातेदार सांठ पुजला, इन्द्राज है। जमाबंदी चौसाले में निरन्तर संवत 2064 तक श्रीराम पुत्र आसुराम कौम नाई पुजला सा देह खातेदार, इन्द्राज है। उक्त खसरा सं. का खातेदार श्रीराम जी पुत्र आसुराम नाई की मृत्यु दिनाँक 17–.....को हो गई है एवं उनकी धर्मपत्नी मेहताब बाई की मृत्यु दिनांक 22–08–1996 को हो गई है। इसकी तस्दीक ग्राम पंचायत सुरपुरा हारा की गई है, एवं ग्राम सुरपूरा के तत्कालीन कृषि प्रवेक्षक – आनन्द कुमार सेन ने तस्दीक की है। श्रीराम जी के जायदा पुत्र एवं पुत्रीयां नहीं है एवं श्रीराम जी व उनकी धर्मपत्नी द्वारा अपने जीवन काल में कमी किसी को अपनी जायदाद का वारिसान घोषित नहीं किया। सन् 2013–14 में भीमराज सेन ने उक्त खसरा भूमि हड़पने की बदनीयत से से मिलिभगत कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पटवारी हल्का सुरपुरा कर नामान्तरकरण 617 खोल दिया जिसको जाँच के दौरान गलत पाया जाने से तहसीलदार ने खारिज कर दिया जिसकी की अपील भीमराज मे सम्भागीय आयुक्त जोधपुर व द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान में की गई, परन्तु दोनों अपर न्यायालयों ने लॉकर न्यायालय (तहसीलदार) के आदेश को यथावत रखा गया जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में भीमराज ने अपील नहीं की है व आज दिनाँक में उक्त प्रकरण किसी न्यायालयर में विचाराधीन नहीं हैं। राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 63 (4) यह कहती है, कि जब बिना वारिस पीछे छोड़े मृत्यु हो जाने –खण्ड– (1)– यदि किसी अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वारिस नहीं हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जोत में का हित समाप्त हो जायेगा वा भूमि रिक्त (खालसा हो जावेगी और उसका अधिग्रहण कर लिया जावेगा, परन्तु जहां कोई प्रत्यक्ष विधिक वारिस है तो अभिनिर्धारित कि – राजरथान राजगामित्व विनियमन के अधीन

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। उक्त विवादित प्रकरण के विषयन्तर्गत निस्तारण हेतु तत्कालीन तहसीलदार ने पटवारी हल्का सुरपुरा को आदेश दिया जो निम्नानुसार है " कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जोधपुर क्रमांक /भू.अ./22/5322 दिनांक: 20-10-22 मूल ही पटवारी हल्का सुरपुरा को भेजकर लेख है, कि- माननीय न्यायालय निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करे"। बहस के अंत में राजस्व रिकार्ड की जाँच से स्पष्ट हो गया है, कि तत्कालीन पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक ने नामान्तरकरण सं0 938 खोलने में सारे नियम कानूनों को दरकिनार कर उक्त नामान्तरकरण खोला गया है, को निरस्त फरमावें एवं उक्त खसरा भूमि को खालसा घोषित करना न्यायोचित है क्यों की खातेदार श्रीराम जी पुत्र आसुराम जी ने अपनी अपनी जायदाद का वारिसान पीछे नहीं छोड़ा है।

हमने प्रस्तुत अपील, जवाब, लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील में तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में संबंधित खसरा के नामान्तरकरण संख्या 938 को खारिज किये जाने की अनुशंषा की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील के तथ्यों के क्रम में विधिक कारणों/साक्ष्यों से अवगत कराया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर संबंधित खसरा में नामान्तरकरण संख्या 938 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को उक्त भूमि राज्यहित में राजसात/खालसा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 20/4/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर